यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, देहरादूनके माह 04/2017से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक श्री सुनील दत्त जोशी एवं श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.07.2020 से 28.07.2020 तक श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शूरवीर सिंह एवं श्री रविशंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26/04/2017 से 06/05/2017 तक श्री एसo केo जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, देहरादून के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से वरिष्ठ सेवाएं समन्वित रूप से लाभार्थियो को प्रदान की जाती है (1)पोषण एवं स्वास्थ शिक्षा (2)स्वास्थ्य परीक्षण (3) संदर्भ सेवाएं(4) प्रतिरक्षण /टीकाकरण (5) अनुपूरक पोषाहार (6) प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा।
समस्त उत्तराखंड राज्य

03-(इकाई द्वारा संचालित योजनाओ सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं
(2) अनुपूरक पोषाहार

(3) मुख्यमंत्री बुजुर्ग महिला पोषण योजना
(4) आई. सी. डी. एस प्रशिक्षण कार्यक्रम
(5) नन्दा देवी कन्या योजना
(6) सबल योजना -उत्तराखंड राज्य के जिलो में
(7) किशोरी शक्ति योजना - उत्तराखंड राज्य के जिलो में

} समस्त उत्तराखंड राज्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(केन्द्र एवं राज्य)

Year	Head of Account	Budget Provision	Release	Expenditure	Excess (+)/Savings(-)	Details of unspent funds		Details of PLA/ Bank in which unspent funds retained
						Surrender to govt.	Parked in PLA/Bank/PSU	
2017-18		71867.32	67494.43	42085.78	25408.64	25408.64	1443.35	
2018-19		82794.04	78331.68	55856.94	22474.74	22474.74	1251.13	
2019-20		94697.83	85612.31	68052.43	17559.88	17559.88	1699.52	
2020-21 uptojune 20		99110.86	33437.17	9901.96	23535.20	0.00	0.00	

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत्र बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापनाव्ययको सम्मिलित नकरते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'अ' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है -

बजट आवंटन स्रोत्र-राज्य सरकार ,केंद्र सरकार

1- सचिव 2-निदेशक 3-संयुक्त निदेशक 4- उप निदेशक 4- डी.पी.ओ. 5-सी.डी.पी.ओ

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिःलेखापरीक्षा में **निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, देहरादून**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण

प्रतिवेदन**निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, देहरादून**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019एवं 10/2019को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। समेकित बाल विकास सेवाएं,अनुपूरक पोषाहार,मुख्यमंत्री बुजुर्ग महिला पोषण योजना, आई. सी. डी. एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम, नन्दा देवी कन्या योजना, सबल योजना, किशोरी शक्ति योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान मे रखकर चयन किया गया

(vi)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर:01 राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत ग्रोथ मांनिटरिंग डिवाईस (इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, वेईग स्केल-इन्फेन्ट डिवाईस तथा वेईग स्केल मदर एण्ड चाईल्ड) मशीन मानक के अनुरूप क्रय न किये जाने से रूपये 65.19 लाख का अलाभकारी व्यय किया जाना ।

राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनवाडी केन्दों में प्रति एक सेट ग्रोथ मांनिटरिंग डिवाईस (इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, वेईग स्केल-इन्फेन्ट डिवाईसतथा वेईग स्केल मदर एण्ड चाईल्ड) इत्यादि क्रय हेतु रूपये 10000 प्रति नग क्रय हेतु धनराशि निर्धारित की गई थी। इसी के क्रम में जेम पोर्टल पर जनवरी 2019 में निविदाआमंत्रित की गई थी, जिसमें फर्म APPLE WEIGHTNFRA LIMITED NEW Madhavpura Market shahibag Road /Ahmadabad की दरे एल-1 पायी गई जिसके अनुसार जेम के अनुबन्ध दिनांक 20.02.19 तथा निदेशालय के पत्र दिनांक 23.02.19 के द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किया गया था तथा दिनांक 01.05.19 को विभाग के साथ उनका अनुबंध हस्ताक्षारित हुआ, जिसके क्रम में फर्म द्वारा ग्रोथ मांनिटरिंग डिवाईस (इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, वेईग स्केल-इन्फेन्ट डिवाईसतथा वेईग स्केल मदर एण्ड चाईल्ड) इत्यादि की परियोजनाओं में आपूर्ति की गई। इसी क्रम में निदेशालय द्वारा अगस्त 2019 में (रूपये 9650191+जीएस टी रूपये 175458) सितम्बर 2019 में (रूपये 8183459 +जी एस टी रूपये 148790) कुल रूपये 18157898 मात्र) का भुगतान कर दिया गया।

कार्यालय के क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि निदेशालय द्वारा ग्रोथ मांनिटरिंग दिवाईस डिवाईस (इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, वेईग स्केल-इन्फेन्ट डिवाईस तथा वेईग स्केल मदर एण्ड चाईल्ड) का तृतीय पक्ष उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान देहरादून से परीक्षण कराया दिनांक 20.11.19 को प्राप्त रिपोर्ट में यह संज्ञान में आया है कि उपरोक्त मशीनें स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध नही करायी गई है, उसमें कमियों पाई गई है। इस सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा अगस्त 19 में फर्म को पत्र लिखा था कि उक्त सामग्री में मानक के अनुरूप उपलब्ध नही कराया है इस तत्काल वापस प्राप्त कर मानक अनुबन्ध के अनुरूप ही उक्त सामग्री का भेजवाने का कष्ट करे लेकिन आज की तिथि तक उक्त सामग्री की वापसी नही गई है और उसके उपलक्ष्य में अनुबन्ध के अनुरूप उक्त सामग्री ही उपलब्ध भी नही कराई गई है। उक्त क्रम में निदेशालय द्वारा नवम्बर 2019 मे रूपये 18157898 का भुगतान तीन कार्य दिवस में नही वापस किया गया तो आप द्वारा जमा की गई बैंक

गारन्टी रूपये 11638860 को जब्त कर ली जायेगी(मार्च 20)। दिसम्बर 2019 तक जमा करना सुनिश्चित करे किन्तु फर्म द्वारा कोई भी धनराशि जमा नही की गई । और बैंक गारन्टी जब्त कर ली गई। अवशेष धनराशि रूपये 65.19 लाख वर्तमान की तिथि तक जमा नही गई। इस प्रकार उपरोक्त मशीन पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के सम्बनध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि फर्म द्वारा वर्तमान समय तक पाई गई कमियोंका निराकरण नही किया गया है। इस कारण वसूली की कार्यवाही की गई है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा यदि बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में उपकरण प्राप्ति के बाद तृतीय पक्ष से निरीक्षण कराया जाता तो उक्त धनराशि का हानि न उठानी पडती।

अत: राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत ग्रोथ मांनिटरिंग डिवाईस (इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, वेईग स्केल-इन्फेन्ट डिवाईसतथा वेईग स्केल मदर एण्ड चाईल्ड) मशीन मानक के अनुरूप क्रय न किये जाने से रूपये 65.19 लाख का अलाभकारी व्यय किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है। ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर- 01 भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 105 परियोजनाओं हेतु आधार नामांकन किट(डेस्कटाप/ लैपटाप कम्प्यूटर, टेबलेट, स्कैनर, प्रिन्टर, फिंगर स्केनर, आईरिस स्केनर तथा जी0पी0एस0 डिवाईस) रूपये 106.84 लाख का क्रय के बाद भी आधार नामांकन किट का संचाजन न किये जाने से उददेश्यों की पूर्ति न होना।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 105 परियोजनाओं हेतु आधार नामांकन किट(डेस्कटाप/ लैपटाप कम्प्यूटर, टेबलेट, स्कैनर, प्रिन्टर, फिंगर स्केनर, आईरिस स्केनर तथा जी0पी0एस0 डिवाईस) क्रय हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्र मार्च 2018 के द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या 15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रूपये 472.50 लाख की धनराशि व्यय करने हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दस फर्मो ने निविदा में प्रतिभाग लिया जिसमें से केवल तीन फर्म की निविदा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में सफल पाये गये। उक्त तीन फर्मों में से एल-1 मैमर्स उर्वसी कम्प्यूटर दिल्ली की निविदा सबसे कम प्राप्त हुई, आधार पंजीकरण किट (लैपटाप सहित) रुपये 117410/ प्रति किट की दर से कुल रुपये 12328050 दर न्यूनतम है। निदेशालय द्वारा मार्च 2019 के द्वारा 13 जनपदों में संचालित 105 बाल विकास परियोजनाओं हेतुं आधार पंजीकरण किट लैपटाप एवं आधार पंजीकरण किट डेस्कटाप सहित की आपूर्ति हेतु आदेश दिया।

कार्यालय के क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि कुल 105 बाल विकास परियोजओं में से केवल 70 बाल विकास परियोजओं में आधार पंजीकरण किट (डेस्कटाप सहित 70 एवं 19 बाल विकास परियोजनाओ हेतु) प्रति रूपये117410 की दर से रूपये 8218700 का बिल अप्रैल 2019 एवं रूपये 2465610 में यानि कुल रूपये 106.84 लाख धनराशि उपलबध करा दिया गया है। निदेशालय द्वारा जनवरी 20 में रूपये 8218700 एवं मार्च 20 में रूपये 2465610 का भुगतान कर दिया गया। निदेशालय के पत्र जून 2019 में अनुसार लैपटाप एच पी का उपलब्ध करवाने का अनुबन्ध किया गया था परन्तु फर्म द्वारा एसर का जैपटाप उपलब्ध करा दिया गया है। जोकि अनुबन्ध शर्त का उल्लंघन किया गया है। जिसके कारण लैपटाप की धनराशि का भुगतान रोक दिया गया है। अनुबन्ध के अनुरूप लैपटाप भेजने का अनुरोध किया गया है। परन्तु आज की तिथि तक उपलब्ध नही कराया गया है।

आगे जांच में यह भी पाया गया है कि अप्रैल 20 में प्राप्ति की तिथि से आज की तिथि तक आधार पंजीकरण का कार्य 105 बाल परियोजनाओं में केवल 14 बाल विकास परियोजनाओं

में संचालित है शेष 91 बाल विकास परियोजनाओं में आज की तिथि तक संचालित नही हो सका।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि 300 आधार पंजीकरण डाटा आपरेटरो की परीक्षा करायी गई जिसमें से केवल 53 आधार पंजीकरण डाटा आपरेटरो ने ही परीक्षा उत्तीर्ण की है और शेष परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण संचालित नही की जा सकी है। इसके अतिरिक्त आगे जांच में यह भी पाया गया है कि अनुबन्ध की शर्त 07 के अनुसार आपूर्ति निर्धारित समय 30 दिन के अन्दर न करने पर 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत दर की सीमा तक लागत रूपये 13218135 का 10 प्रतिशत यानि रूपये 13.22 लाख की धनराशि का नुकसान जुर्माना की वसूली अनुबन्ध की तिथि जनवरी 2019 से जुलाई 20 तक 16 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी वसूली नही किया गया था। और न ही मानक के अनुरूप लैप टाप का आपूर्ति नही की गई है।

उत्तर मान्य नही है क्योकि विभाग की उदासीनता के कारण 16 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी 105 बाल विकास परियोजनाओं हेतु लैपटाप का क्रय न किये जाने से 91 बाल विकास परियोजनाओं का संचालन नही किया जा सका है।

अत: भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 105 परियोजनाओं हेतु आधार नामांकन किट (डेस्कटाप/ लैपटाप कम्प्यूटर, टेबलेट, स्कैनर, प्रिन्टर, फिंगर स्केनर, आईरिस स्केनर तथा जी0पी0एस0 डिवाईस) रुपये 106.84 लाख का क्रय के बाद भी आधार नामांकन किट का संचालन न किये जाने से उददेश्यों की पूर्ति न होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर:02 मानक अपूर्ण होने तथा निविदा शर्तो को पूर्ण न होने के बाद भी फ़र्म को रुपये 1.53 करोड़ का भुगतान कर अनुचित लाभ दिये जाने का प्रकरण।

According to F.No 1-6/2008-CD-1, GOI dated 24/2/2010, point no. 4(iii) for technical assistance including design and resourcing states/UTs may contact the association of corporation of apex societies of Handlooms(ACASH) and NIFT, as may be decided by respective states/UTs.

शासनादेश सं॰ 2237/XVII(4)/2017-157/2010, दिनांक 14/12/2017 द्वारा आगनवाड़ी कार्यकत्रियों/ सहायिकाओ/ मिनी अगनवाड़ी कार्यकत्रियों हेतु साड़ी-सूट क्रय किए जाने हेतु रुपये 2.0 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसे शा॰सं॰ 334/XVII(4)/2018-39/2004 द्वारा दिनांक 9/3/2018 को धनराशि रुपये 1.57 करोड़ पीएलए खाते मे जमा की गयी। शा॰ सं॰ 1508/XVII(4)/2018-157/2010 दिनांक 5/12/2018 द्वारा रुपये 1.57 करोड़ की धनराशि पीएलए खाते से व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष फ़र्म मै॰ ॐ साड़ी दिनांक 18/12/18 को साड़ी- सूट आपूर्ति किए जाने हेतु कुल रुपये 1.53 करोड़ का भुगतान 18/12/2018 को किया गया एवं शेष धनराशि समर्पित की गयी।

निविदा प्रक्रिया कि जांच मे पाया गया कि दिनांक 22/8/2018 को कुल 08 टेक्निकल निविदा मे से मात्र 02 (facetsclothing एवं ओम शिव साड़ी) टेक्निकल निविदा समिति द्वारा सफलनिविदाता के रूप मे चयनित किए गए एवं उक्त 2 सफलनिविदाता मे से एल1, मै॰ ओम शिव साड़ी को निविदा प्रदान कि गयी। उक्त स्थिति मे पुनः निविदा आमंत्रित न करते हुये मात्र मे फ़र्मों के बीच तुलना किया जाना फ़र्म को अनुचित लाभ प्रदान करने कि तरफ सूचित करती है। ITB/तुलनात्मक चार्ट/टेक्निकल निविदा संबन्धित साक्ष्यों मे मै॰ ॐ शिव साड़ी की निम्नलिखित शर्ते अपूर्ण पायी गयी:-

1. श्री साई टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड एनएबीएल द्वारा Biological एवं chemical टेस्टिंग हेतु ही मान्यता प्राप्त थी जबकि साड़ी-सूट हेतु फ़ैब्रिक/टेक्सटाइल टेस्टिंग किया जाना चाहिए था, आईटीबी मे निर्धारित मानको के अनुसार जांच रिपोर्ट नही होने के बावजूद भी उक्त फ़र्म को निविदा प्रदान की गयी।
2. तुलनात्मक चार्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 2017 तक (विगत तीन वर्षो) का satisfactorysupplyof साड़ी एवं सूट होना अनिवार्य था जबकि फ़र्म के द्वारा मात्र 2015-16 का ही साड़ी सूट संबन्धित सप्लाइ आदेश प्रस्तुत किए गए एवं 2014-15 हेतु मात्र flag के सप्लाइ आदेश प्रस्तुत किए गए अर्थात उक्त 3 वर्ष की शर्त पूर्ण न होने के बाद भी निविदा प्रदान की गयी।
3. जांच मे पाय गया कि मै॰ ओम शिव साड़ी वाणिज्य कर द्वारा दिनांक 03/2016 तक हीपंजीकृत थी एवं GST द्वारा registration 7/2017 से प्रभावी था अतः मध्य तिथियो मे फ़र्म व्यापार हेतु अपंजीकृत होने के बाद भी उक्त फ़र्म को निविदा प्रदान किया गया।

4. नमूनो कि रैंडम जाँच पैकिंग अथवा डिलीवेरी के समय किया जाना था जबकि इकाई द्वारा नमूना जाँच फ़र्म के गौदाम मे जाकर रैंडम sampleling हेतु साड़ी/सूट चयनित कर उनकी टेक्सटाइल जाँच दिल्ली से कराई गयी जो की अनुचित थी।

उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा फ़र्म मै॰ ओम शिव साड़ी निविदा शर्तो को पूर्ण नही होने के बाद भी फ़र्म को अनुचित लाभ प्रदान करते हुये निविदा प्रदान कि गयी। साथ ही Guidelines के अनुसार procurement के समय technicalassistanceACASH से लिया जाना चाहिए था जिस हेतु कोई प्रयास इकाई द्वारा नही किया गया।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया कि " ऑनलाइन अपलोड किए गए अभिलेखो के अनुसार 06 निविदाए प्राप्त हुई, ई-टेंडर मे संतोषजनक आपूर्ति प्रमाण पत्र तीन वर्षो का मांगा गया था जिसमे फ़र्म 1 की 2 वर्ष 2015-16 & 2016-17 तथा फ़र्म 2 के 2014-15,2015-16 एवं 2016-17 प्राप्त हुआ, क्रय समिति द्वारा फ़र्म 01 को तकनीकी निविदा मे वित्तीय निविदा की प्रतिस्पर्धा को देखते हुये एक वर्ष का satisfactorysupply का सर्टिफिकेट न होने पर क्रय समिति द्वरा फ़र्म 1 को तकनीकी निविदा मे सफल घोषित किया गया तथा साई टेस्ट हाउस एनएबीएल द्वारा केमिकल एवं biological टेस्ट हेतु मान्यता प्राप्त थी"

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि गाइडलाइंस के विपरीत एक तरफा निविदा प्रक्रिया अपनाई गयी तथा मै. ॐ शिव साड़ी निविदा हेतु अपात्र होने के बाद भी इकाई द्वारा निविदा रद्द न करते हुये संबन्धित फ़र्म को अनुचित लाभ प्रदान कर टेंडर दिया गया एवं फ़र्म को रुपये 1.53 करोड़ का भुगतान किया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग - II ब

प्रस्तर:3 धनावन्टन की प्रत्याशा मे रुपये 182.04 लाख दायित्व का शृजन किया जाना।

आँगनवाडी प्रशिक्षण योजना से संबन्धित वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक की पत्रावलियों की नमूना जांच मे पाया गया कि निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवम बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड देहरादून ने वर्ष 2015-16 मे रु 5.04 लाख, वर्ष 2016-17 एवम 2017-18 मेरुपये 151.58 लाख तथा वर्ष 2018-19 मे रु 30.46 लाख का दायित्व सृजन किया जाना दर्शाया गया है जबकि वास्तव मे वर्ष 2018-19 मे रुपये 182.04 लाख का दायित्व सृजित किया गया है। विगत लेखापरीक्षा मे भी धनावन्टन की प्रत्याशा मे दायित्वों का सृजन किये जाने सम्बन्धी आपत्ति उठायी गयी थी।

पत्रावली मे यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2017-18 मे अग्रिम आदेश तक कोई भी प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाय तथा प्रशिक्षण संस्थान दिनांक 05 जुलाई 2017 के बाद कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगें। उक्त आदेश के बाद भी वर्ष 2018-19 मे रुपये177.00 लाख का व्यय केंद्रान्श से किया गया था। वर्ष 2018-19 मे रुपये 30.46 लाख का उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया गया था जबकि वास्तव मे वर्ष 2018-19 मे भारत सरकार पर (वर्ष 2017-18 की देनदारी रुपये 5.04 लाख तथा वर्ष 2018-19 का व्यय रुपये 177.00 लाख) कुल रुपये182.04 की देनदारी बनती है।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि रुपये 5.04 लाख वर्ष 2016-17 की देनदारी शेष थी तथा वर्ष 2017-18 का व्यय रुपये 25.41 लाख था कुल अवशेष देनदारी भारत सरकार पर रुपये 30.46 लाख है।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विगत वर्षों की देनदारी रुपये5.04 लाख अवशेष थी तथा वर्ष 2018-19 मे रुपये 177.00 लाख का व्यय किया गया था, इस प्रकार वर्ष 2018-19 मे कुल रुपये 182.04 लाख का दायित्व शृजन किया गया था। धनावन्टन की प्रत्याशा मे रुपये 182.04 लाख दायित्त्व का सृजन किया जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग - II ब

प्रस्तर:04 विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं,,विधवाएं, तलाकशुदा, परित्यकता, किन्नर एवं एकल महिलाओं द्वारा आवेदन न करने से पं0 दीन दयाल समाजिक सुरक्षा कोष की धनराशि रूपये 50 लाख की धनराशि का अवरूद्ध रहना।

पं0 दीन दयाल समाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना मई 2018 राज्य सरकार द्वारा की गयी है। जिसका मुख्य उददेश्य उत्तराखण्ड राज्य में की महिलाएं जो समाजिक दृष्टि से कमजोर व निराश्रित है को इस कोष के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा। राज्य में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाए, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, एकल महिलाओं एवं किन्नर को इस सुरक्षा कोष से वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा। महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर कुपोषण मुक्त करते हुए गांव में ही रोजगार सृजन कर पलायन रोकने में कोष कारगर सिद्ध होगा। कोष के अन्तर्गत ऋण का भुगतान सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जाएगा एवं समय-समय पर एकल महिलाओं की आवश्यकता तथा मांग आधारित योजनाओं का निर्माण किया जा सकेंगा जिससे महिलाओं के समस्त आयामों सामाजिक एवं आर्थिक का समावेश हो सके। इस योजना का लाभ दिये जाने हेतु पात्रता की निम्न शर्ते रखी गई थी जो निम्मवत है।

1. घरेलू हिंसा से उत्पीडित महिला को कोर्ट में केस दर्ज एवं लम्बित होने सम्बन्धी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. परित्यकता द्वारा रूपये 10 के स्टाम्प पेपर पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि कम से कम दो वर्ष की अवधि से पति के साथ नही रह रही हो।
3. विधवा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. एकल महिला जिसने 40 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो। विवाह न किये जाने के सम्बन्ध में परिवार रजिस्टर की नकल की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
5. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ऐसे किन्नर भी आवेदन कर सकेगें जो कि अपने की महिला के स्प में प्रस्तुत करेंगें।
6. महिला की आयु कम से कम 25 वर्ष व अधिकतम 60 वर्ष की होगी।
7. यह योजना सहकारी समितियों जिला सहकारी बैंकों राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पं0 दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोष से वितरित ऋण पर ही प्रभावी होगी।
8. उत्तराखण्ड के मूल / स्थायी निवासी हो।
9. महिला का आधार कार्ड हो।

10. योजना से अच्छादित महिला का बैंक खाता सहकारी बैंक की निकटतम शाखा में खोला जाना अनिवार्य होगा। तथा खातें को आधार लिंक करानी होगी जिससे उनके खातों में ऋण की धनराशि सीधे जमा कराई जा सकें।

11. इस योजना का लाभ सरकारी बकाएदार को नहीं दिया जायेगा।

12. महिलाएं किसी भी संगठित सेवा- सरकारी गैर सरकारी सरकारी, उपक्रम आदि में कार्यरत न हों।

13. राजकीय / परिवारिक पेंशन प्राप्त न करती हो।

14. कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं तथा विधवा विकलांग आदि प्रात्र होंगी।

15. पर्वतीय / सुदूर दुर्गम क्षेत्र की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

16. पशु पालन से सम्बन्धित ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 1.00 लाख तक ही होगी।

17. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक को समस्त वांछित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित कर उपलब्ध कराया जाना होगा।

इस येाजनान्र्गत कुल पूंजी का शत प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा एकल महिला उद्यमी की स्थिति में रूपये 1.00 लाख तक होगी को 01 प्रतिशत तक वार्षिक व्याज वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त .ऋण काग सहकारी बैंक 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान करेगा जिससे 09 प्रतिशत ब्याज की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा सीधे राज्य सहाकरी बैंक को उपलब्ध करवाया जायेगा। 01 प्रतिशत ब्याज की धनराशि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा पं0 दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोष में राज्य सहाकरी बैंक में इस निर्मित जमा धनराशि से किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 50.00 लाख धनराशि का प्राविधान किया गया है।

इसी के तारतम्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जुलाई 2018 में अनुदान सं0 15 से रुपये 50.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इसी क्रम में निदेशालय द्वारा मार्च 2019 में रूपये 50.00 लाख की धनराशि कोषागार से आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए पं0 दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोष के संचालन हेतु उत्तराख्ण्ड राज्य कोपरेटिव बैंक सुद्धोवाला देहरादून में खोले गये खाता सं0 000235003100105 में जमा करवा दी गई।

कार्यालय के पं0 दीन दयाल समाजिक सुरक्षा कोष से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि मार्च 2019 में रूपये 50.00 लाख की धनराशि कोषागार से आहरण की

स्वीकृति प्रदान करते हुए पं0 दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोष के संचालन हेतु उत्तराख्ण्ड राज्य कोपरेटिव बैंक सुद्धोवाला, देहरादून में खोले गये चाजू खाता सं0 000235003100105 में जमा करवा दिया गया था। निदेशालय द्वारा अगस्त 2019 एवं सितम्बर 2019 में समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों से घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं,विधवाएं तलाकशुदा, परित्यकता, किन्नर एवं एकल महिलाओंको इस सुरक्षा कोष से वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु लाभार्थियों की सूची मांगी गई थी। परन्तु आज की तिथि तक कोई भी लाभार्थियों की सूची निदेशालय को उपलब्ध नही करायी गई जिसके कारण उक्त धनराशि रूपये 50.00 लाख व्यय नही की जा सकी जो सम्प्रेक्षा तिथि जुलाई 2020 तक अवरूद्ध रखी यई थी । वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए भी रुपये 1.00 करोड की धनराशि स्वीकृत की गई थी परन्तु जनपद स्तर पर इस योजना के संचालनमें आ रही कमियों के कारण संचालित नही किया जा सका।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि विभाग द्वारा इस योजना का संचालन न होने के कारण आहरित नही किया गया है। उक्त योजना के संचालन हेतु शासन स्तर पर बैठके आहूत की गई है ताकियोजना का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण दी वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई भी लाभार्थियों द्वारा लाभ पाने हेतु आवेदन नही किया जाना इससे यह प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा इस योजना के प्रति उदासीनता बरती जा रही है।

अत: विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं,,विधवाएं, तलाकशुदा, परित्यकता, किन्नर एवं एकल महिलाओं द्वारा आवेदन न करने से पं0 दीन दयाल समाजिक सुरक्षा कोष की धनराशि रूपये 50 लाख की धनराशि का अवरूद्ध रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:02रुपये 3.40 करोड़ की धनराशि विगत दो वर्षों से अवरुद्ध रखा जाना।

राष्ट्रीय क्रैच योजना से संबन्धित वर्ष 2018-19 एवम 2019-20 की पत्रावलियों की नमूना जांच मे पाया गया कि निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवम बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पास रुपये 3,24,40,320/- की धनराशि विगत दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी हुयी थी। वर्ष 2018-19 से पूर्व यह योजना उत्तराखण्ड समाज कल्याण बोर्ड के पास थी उत्तराखण्ड समाज कल्याण बोर्ड द्वारा ही यह धनराशि निदेशक महिला सशक्तिकरण एवम बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को हस्तांतरित की गयी थी। यह धनराशि वर्ष 2018-19 मे व्यय नहीं की गयी थी जिसे वर्ष 2019-20 मे व्यय करने हेतु पुनर्वैध कराया गया था, पत्रावली मे उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमे वर्ष के अन्त मे धनराशि उपभोग कर समायोजित कर लेने सम्बन्धी बात अंकित की गयी है।

आगे पत्रावली मे यह भी पाया गया कि क्रैच संचालकों का वर्ष 2016-17 एवम 2017-18 का भुगतान भी लेखापरीक्षा तिथि (07/2020) तक नहीं किया गया था। पत्रावली मे क्रैच संचालकों द्वारा वर्ष 2016-17 व 2017-18 के बकाया भुगतान की माँग निदेशक महिला सशक्तिकरण एवम बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड देहरादून से की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा क्रैच संचालकों का बकाया भुगतान नहीं किये जाने के संबंध मे पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि पूर्व मे यह योजना उत्तराखण्ड समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित थी, भुगतान से पूर्व जनपदों से जाँच कराने हेतु निर्देश जारी किये गए थे तथा भारत सरकार से धनराशि के पुनर्वैध कराने हेतु अनुरोध किया गया है पुनर्वैध की स्वीकृति आतिथि तक अपेक्षित थी।

विभागीय उत्तर से स्वत: स्पष्ट है कि क्रैच संचालकों का विगत वर्षों का बकाया भुगतान नहीं किया गया था जबकि निदेशक महिला सशक्तिकरण एवम बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पास रुपये 3,24,40,320/- की धनराशि विगत दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी थी। अत: रुपये 3.40 करोड़ की धनराशि विगत दो वर्षों से अवरुद्ध रखा जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
2006-07	1,2एवं3	1,2,3,4, 5, 6,7 एवं 8	-
2007-08	1 से 11 तक	1 एवं 2	--
2009-10	1,2,3एवं 4	1 एवं2	01
2011-12	1,2एवं3	शून्य	-
2012-13	01	1 एवं2	01
35/2016-17	शून्य	1, 2, 3, 4, 5 एवं 6	-
09/2017-18	शून्य	1,2,3एवं 4	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
(इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार कर प्रेषित की जायेगी)				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, देहरादून**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये।

(I) शून्य

(II) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

(I) शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्रीमति विम्मी सचदेवा रमन	निदेशक	05-05-2016 से 01-11-2017 तक
2.	कै0 आलोक शेखर तिवारी	निदेशक	02-11-2017 से 11-04-2018 तक
3.	श्री रणवीर सिंह चौहान	निदेशक	12-04-2018 से 24-07-2018 तक
4.	डॉ0 एस0 के0 सिंह	निदेशक	25-07-2018 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, देहारादून**को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधेउप-महालेखाकार, (ए.एम.जी. -1) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़, 248195 देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-1